# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

**बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.**

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 09 / 2021

**प्रार्थी**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

*बनाम*

**अप्रार्थी**

1. श्रीमती अणदु पत्नि श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री जालमा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री सोना पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका के कायम मुकाम--
   - 3.1 श्रीमती अणदु पत्नि श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.2 श्री जालमा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.3 श्री राजू पुत्र स्व. श्री भीखा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.4 श्री मुकेश पुत्र स्व. श्री भीखा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.5 श्री राकेश पुत्र स्व. श्री भीखा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.6 श्री जयन्ती पुत्र स्व. श्री भीखा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.7 श्री रंगा पुत्र स्व. श्री भीखा पुत्र श्री बाबू जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.8 सुश्री पिंकी पुत्री स्व. श्री भीखा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 3.9 श्रीमती कमली पत्नि स्व. श्री भीखा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री कान्ति पुत्र श्री थावरा जाति गरासिया निवासी तलवारों का नाका तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

***राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970***

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही)
2. अधिवक्ता श्री बलवन्त कुमार मेघवाल अनुपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

## निर्णय

दिनांक 19.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 418/2 रकबा 1.11 बीघा किस्म पड़त भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19-20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा देने से तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थीगण के हक बतौर गैर खातेदार नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या दो एवं चार की ओर से अधिवक्ता श्री बलवन्त कुमार मेघवाल ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या एक एवं अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसान क्रमशः 3.1 से 3.9 की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 98 रकबा 5.05 बीघा किस्म नहरी-1 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री मीरू पुत्र श्री वाला को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 418/2 रकबा 1.11 बीघा किस्म पड़त भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19-20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा देने से तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थीगण के हक बतौर गैर खातेदार नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। यह है कि पटवारी हल्का क्यारिया से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 के अनुसार आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कोई कब्जा नहीं है एवं भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 418/2 रकबा 1.11 बीघा किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19–20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Bhlm

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner